

बिहार सरकार
कृषि विभाग

MAIL/FAX

पत्र संख्या-3/कृ. बजट-आवंटन-21/2013-289 (आवंटन) कृ., पटना, दिनांक 27-03-2014

प्रेषक,

विवेक कुमार सिंह
प्रधान सचिव।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

विषय :

बिहार राज्य बीज निगम को बीज भंडारण तथा प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए 5422 लाख रुपये (चौवन करोड़ बाईस लाख रुपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति के अधिन वित्तीय वर्ष 2013-14 में स्वीकृति के लिए अवशेष राशि में से समान्य वर्ग के लिए तत्काल ₹833.28 लाख (आठ करोड़ तेतीस लाख अठाईस हजार रुपये) सहायक अनुदान की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹8,33,28000 (आठ करोड़ तेतीस लाख अठाईस हजार रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-1374 दिनांक-26.03.2014 द्वारा बिहार राज्य बीज निगम को बीज भंडारण तथा प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए 5422 लाख रुपये (चौवन करोड़ बाईस लाख रुपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति के अधिन वित्तीय वर्ष 2013-14 में स्वीकृति के लिए अवशेष राशि में से समान्य वर्ग के लिए तत्काल ₹833.28 लाख (आठ करोड़ तेतीस लाख अठाईस हजार रुपये) सहायक अनुदान की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹8,33,28000 (आठ करोड़ तेतीस लाख अठाईस हजार रुपये) मात्र आवंटित की जाती है।


2. उपरोक्त ₹8,33,28000 (आठ करोड़ तेतीस लाख अठाईस हजार रुपये) मात्र का व्यय बजट शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, लघु शीर्ष 103-बीज, मांग संख्या-01, उपशीर्ष-0115 बिहार राज्य बीज निगम द्वारा बीजोत्पादन कार्यक्रम, विपत्र कोड P2401001030115, राज्य योजना, स्कीम कोड-AGR 5017 विषयशीर्ष- 31 06-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा" में वर्ष 2013-14 के मुल बजट में उपबंधित 830 लाख रुपये तथा तृतीय अनुपूरक बजट में उपबंधित 833.28 लाख रुपये कुल उपबंधित 1663.28 लाख रुपये से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक-7857 दिनांक-31.07.2013 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निदेशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद टी. भी. नं. के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन


(विवेक कुमार सिंह)

प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

/कृ., पटना दिनांक 27-03-2014


ज्ञापांक

289 (आवंटन)

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




प्रधान सचिव।

ज्ञापांक

289 (आवृत्त)

/क०.पटना,दिनांक 27-03-2014

प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बिहार, पटना/सम्बन्धित प्रमंडलीय आयुक्त/सम्बन्धित जिला पदाधिकारी/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/ निदेशक, पी.पी.एम., बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना) कृषि विभाग बिहार, पटना/सम्बन्धित प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/सम्बन्धित जिला कृषि पदाधिकारी/प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम/कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर/कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर/उप कृषि निदेशक (प्रसार)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, योजना (सचिवालय/ निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/27/14
प्रधान सचिव

ज्ञापांक -

289 (आवृत्त)

/क०. पटना, दिनांक 27-03-2014

प्रतिलिपि :- उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना/आई. टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

सूचना

4/27/14
प्रधान सचिव।